29.06.2020 प्रार्थी विश्वनाथ पुत्र बलराम जाति ब्राह्मण निवासी धोद तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि ग्राम धोद में अवस्थित खसरा सं. 443 व खसरा सं. 1409/276 किता 2 कुल रकबा 1.96 हेक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज है। उक्त खाता में प्रार्थी का नाम वर्तमान विश्वचन्द्र पुत्र बलराम जाति ब्राह्मण निवासी धोद तहसील धोद जिला सीकर दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी का सही नाम विश्वनाथ पुत्र बलराम जाति ब्राह्मण निवासी धोद तहसील धोद जिला सीकर है। अतः उक्त आराजियात में प्रार्थी का नाम विश्वचन्द्र पुत्र बलराम के स्थान पर विश्वनाथ पुत्र बलराम किया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर तहसीलदार, धोद से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थना–पत्र मय रिपोर्ट को अ.धा. 136 एलआर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना–पत्र मय रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी के मौखिक निवेदन पर उक्तानुसार संशोधन हेतु पत्रावली आज तलब की गई। तहसीलदार, धोद ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि "ग्राम धोद के खसरा सं. 443 व खसरा सं. 1409/276 किता 2 कुल रकबा 1.96 हेक्टेयर की खातेदारी विश्वचन्द्र पुत्र बलराम जाति ब्राह्मण निवासी धोद तहसील धोद जिला सीकर के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम विश्वनाथ पुत्र बलराम जाति ब्राह्मण निवासी धोद है, जिसकी पुष्टि मज्मे आम में पूछताछ करने पर हुई है। अतः ग्राम धोद के खाता सं. 751 में खातेदार का नाम विश्वचन्द्र पुत्र बलराम के स्थान पर विश्वनाथ पुत्र बलराम जाति ब्राह्मण निवासी धोद तहसील धोद जिला सीकर किये जाने की अनुशंषा की जाती है।"

प्रार्थी द्वारा उक्त आराजियात के संबंध में राजस्व दस्तावेजात की सत्यापित प्रतिलिपियां भी पेश की। जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड में प्राथी का नाम विश्वनाथ पुत्र बलराम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा स्वयं का शपथ–पत्र तथा अन्य स्वतंत्र गवाह किशन पारीक का शपथ–पत्र भी पेश किया है। जिसमें अंकित किया है कि विश्वचन्द्र व विश्वनाथ प्राथी के ही नाम है तथा प्रार्थी का सही नाम विश्वनाथ है।

अतः तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व स्वतंत्र गवाह द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के आधार पर

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम धोद के खसरा सं. 443 व खसरा सं. 1409/276 किता 2 कुल रकबा 1.96 हेक्टेयर में खातेदार का नाम विश्वचन्द्र पुत्र बलराम के स्थान पर विश्वनाथ पुत्र बलराम जाति ब्राह्मण निवासी धोद तहसील धोद जिला सीकर दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद • मुख्यालय सीकर (राज.) •